भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 846
दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 / 23 अग्रहायण, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क

846 श्री एस. कल्याणसुन्दरमः
श्री आर. गिरिराजनः
श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्लाः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015-30 के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क का प्रभावी कार्यान्वयन, जो सरकार की अग्रणी भूमिका में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और अन्य हितधारकों जैसे कि स्थानीय सरकार और एनजीओ क्षेत्र के साथ जिम्मेदारी साझा करने पर बल देता है, अब समय की मांग है;
(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या पहल की गई / किए जाने का प्रस्ताव है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): सेंडाई फ्रेमवर्क और हमारी राष्ट्रीय योजना की भावना के अनुसार, सरकार ने एक बहु-आयामी, बहु-क्षेत्रीय, संपूर्ण-समाज और एक संपूर्ण-सरकार वाला दृष्टिकोण अपनाया है । "आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क (एसएफडीआरआर) 2015-30" के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहलें निम्नानुसार है:

(i) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने वर्ष 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) तैयार की थी और फिर वर्ष 2019 में इसे संशोधित किया था। एनडीएमपी के अंतर्गत, सेंडाई फ्रेमवर्क की प्राथमिकताओं को आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) के नियोजित ढाँचे के तहत विषयगत क्षेत्रों, नामतः आपदा जोखिम को समझना, आपदा जोखिम शासन को सुदृढ़ बनाना, डीआरआर में निवेश करना और प्रभावी मोचन के लिए आपदा तैयारियों को बढ़ाना, को शामिल किया गया है।

राज्य सभा अतारांकित प्र.सं. 846, दिनांक 14.12.2022

(ii) आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री के दस सूत्री एजेंडे के अंतर्गत स्थानीय क्षमता का विकास करने और डीआरआर को बढ़ाने संबंधी पहल करने की भी परिकल्पना की गई है।

(iii) एनडीएमए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में "आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन" स्कीम को कार्यान्वित कर रहा है। स्कीम का मुख्य उद्देश्य, राज्य और उससे नीचे के स्तर पर सेंडाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन की निगरानी एवं समन्वय करना है और साथ ही देश में रोकथाम, शमन और तैयारी की संस्कृति को विकसित करना है।

(iv) एसएफडीआरआर 2015-2030 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एनडीएमए, 115 चिन्हित पिछड़े जिलों (आकांक्षी जिलों) को सहायता देने के लिए "जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का सुदृढ़ीकरण (डीडीएमए)" की स्कीम को कार्यान्वित कर रहा है।

(v) आपदा से हुए नुकसान पर क्षेत्र-वार आंकड़े एकत्र करने और एसएफडीआरआर के चार (04) लक्ष्यों के तहत विभिन्न संकेतकों पर प्रगति को मॉनीटर करने के लिए, एक विस्तृत ऑनलाइन मॉड्यूल का विकास किए जाने हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एनडीएमआईएस) को शुरू किया गया है।

(vi) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए बहु-जोखिम आपदा संभावित 350 जिलों में आपदा से बचाव हेतु 1,00,000 सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए आपदा मित्र स्कीम शुरू की गई है। स्कीम का वित्तीय परिव्यय 369.40 करोड़ रुपये है।

(vii) राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) अपनी 16 बटालियनों के साथ देश के संवेदनशीलता प्रोफाईल के अनुसार तैनात है, ताकि आपदाओं अथवा आसन्न आपदागत स्थितियों के दौरान तत्काल कार्रवाई की जा सके। लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, एनडीएमए और एनडीआरएफ द्वारा नियमित रूप से मॉक अभ्यास और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(viii) एनडीआरएफ, आपदा प्रबंधन/मोचन के विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ मिलकर सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़, चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन और सीबीआरएन के संबंध में सामुदायिक आपदा जागरूकता के विषय पर एक मॉक अभ्यास स्कीम को कार्यान्वित कर रहा है।

(ix) एनडीआरएफ, भारत के सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 1200 संवेदनशील स्कूलों में बच्चों को आपदा मोचन पर प्रशिक्षण देने के लिए "स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (एसएसपी)" को कार्यान्वित कर रहा है।

(x) सभी चेतावनी एजेंसियों को एक वेब आधारित केंद्रीय प्लेटफार्म से जोड़ने के लिए, साझा चेतावनी प्रोटोकॉल पर आधारित "एकीकृत चेतावनी प्रणाली (सचेत) चरण-। (सीएपी)" को अनुमोदन प्रदान किया गया है। स्कीम का वित्तीय परिव्यय 354.83 करोड़ रुपये है।

(xi) एनडीएमए ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और जिला स्तरों पर एनजीओ-समन्वय केंद्र स्थापित करने की पहल की है। 22 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों और 240 जिलों ने नोडल अधिकारी नियुक्त कर अपने-अपने केंद्र स्थापित कर लिए हैं।

(xii) आठ तटीय राज्यों में तटीय क्षेत्रों, जो अक्सर चक्रवातों का सामना करते हैं, को राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना (एनसीआरएमपी) के तहत कवर किया गया है, जिसके फलस्वरूप जीवन और आजीविका के नुकसान को कम करने के लिए चक्रवात संभावित क्षेत्रों में क्षमता निर्माण किया जा रहा है।

(xiii) पंद्रहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए, राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एनडीआरएमएफ) और राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएमएफ) के सृजन की सिफारिश की है। एनडीआरएमएफ के लिए 68,463 करोड़ रुपये और एसडीआरएमएफ के लिए 1,60,153 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। पुनः इन कुल आवंटनों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मोचन निधि और शमन निधि के रूप में विभाजित किया गया है, जो आपदा प्रबंधन चक्र के सभी चार चरणों अर्थात तैयारी, मोचन, रिकवरी एवं पुनर्निर्माण और शमन को एक साथ कवर करते हैं।

*****